रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 332] नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 1989/आषाढ़ 5, 1911
No. 332] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 1989/ASADHA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1989

सा० का० नि० 644 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) प्रथम संशोधन विनियम, 1989 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा० सं० पी० आर०-12016/15/86-पी० ई० I]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) प्रथम संशोधन विनियम, 1989

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसी अधिनियम, की धारा 124 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल एतद्द्वारा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) के संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम.

यह विनियम "कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) प्रथम संशोधन विनियम, 1989" है।

2. कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी विनियम (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1976 में :

(1) (क) विनियम 5 के उप-विनियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

दो वर्ष के एक ब्लॉक में हर कर्मचारी एक बार अपने मूल निवास स्थान पर जाने के लिए रियायत पाने का हकदार

होगा। हर मामले में यात्रा मूल निवास स्थान के लिए ही की जानी चाहिए तथा वापसी वहीं से होनी चाहिए और दावा भी आवक यात्रा तथा जावक यात्रा दोनों के लिए किया जाना चाहिए। मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए यह आवश्यक नहीं कि कर्मचारी या उसके परिवार वाले यात्रा का प्रारंभ मुख्यालय से ही करेंगे; परन्तु यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि उतनी ही होगी जितना कि यदि यात्रा कर्मचारी के मुख्यालय से मूल निवास स्थान तक की जाने पर होती।

(ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

हर स्तर के कर्मचारी 4 साल के एक ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान पर एक बार में जाने के लिए यात्रा रियायत के हकदार होंगे। हर मामले में ठहरे स्थान तथा वहां से वापसी को यात्रा कहा जायेगा और आवक तथा जावक यात्रा दोनों के लिए दावा किया जायेगा। भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए यह आवश्यक नहीं कि कर्मचारी या उसका परिवार यात्रा का आरम्भ अपने मुख्यालय से ही करे, परन्तु स्वीकार्य सहायता की राशि उतनी ही होगी जितनी कि की गयी यात्रा की वास्तविक दूरी कर्मचारी के मुख्यालय से ठहरे स्थान तक की होती और उसके लिए जितनी राशि दी जाती।

(ग) विनियम 5 के उपविनियम (3) के अन्त में "स्पष्टिकरण" के ऊपर निम्नलिखित वाक्य जोड़े :—

यदि किसी कर्मचारी द्वारा 4 वर्ष के ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान की यात्रा वाले छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग मूल निवास स्थान के लिए किया जाता है तो ऐसे मूल निवास स्थान की यात्रा के संबंध में पूर्ण प्रतिपूर्ति की जायेगी, जैसे उसने भारत के किसी स्थान की यात्रा की हो।

(घ) विनियम के 5 उप-विनियम 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

उप-विनियम (1) और (2) के प्रयोजन के लिए कर्मचारी के किसी भी श्रेणी में यात्रा करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु स्थान किराया के लिए बोर्ड की सहायता ऐसी वास्तविक सीमा तक ही दी जायेगी जिसके लिए कर्मचारी हकदार होगा या उससे नीचे की श्रेणी, जैसी बात हो।

(2) निम्नलिखित वाक्य को विनियम 6 के अन्तिम वाक्य के रूप में जोड़ा जायेगा :—

परन्तु, फिर भी परिवार में पति-पत्नी तथा कर्मचारी के आश्रित बच्चे हालांकि कर्मचारी पति-पत्नी तथा आश्रित बच्चों को अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर रख आया हो।

(3) (क) विनियम 7 में, जो विनियम 7 का उप-विनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा, 10वीं पंक्ति में "प्रत्येक ऐसे समूह" शब्द के बाद आये शब्द" यदि ऐसे समूह के अन्तिम जावक यात्रा की शुरुआत प्रथम समूह द्वारा जावक यात्रा के प्रारम्भ की तारीख से 6 महीने के पहले की गयी हो", को "परन्तु चालू ब्लॉक के दौरान वापसी यात्रा पूरी कर ली जाये जिस ब्लॉक के दौरान प्रथम समूह ने अपनी यात्रा पूरी की थी" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) विनियम 7 के अन्तर्गत एक नया उप-विनियम, अर्थात् उप-विनियम (2) निम्नवत जोड़िए :—

यदि एक समूह ब्लॉक अवधि के दौरान रियायत इसका उपभोग कर चुका हो तब दूसरे समूह द्वारा जो रियायत का उपभोग नहीं किया है, को अग्रेनित छुट्टी यात्रा रियायत पर जाने दिया जायेगा। जब कर्मचारी और/या उसके परिवार के सदस्य भारत के किसी स्थान की यात्रा के रियायत का उपभोग कर रहे हों, तब वे एक ही स्थान या अपने पसन्द के अन्य स्थानों की यात्रा कर सकते है।

(4) (क) विनियम 10 के उप-विनियम (2) में 7वी पंक्ति में आये शब्द "दूरी" के बाद "400 कि० मी० से अधिक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले मे 160 कि० मी०)" शब्द को काट दिया जायेगा।

(ख) विनियम 10 के उप-विनियम (3) में 6वीं पंक्ति में "हकदार श्रेणी" के बाद आये शब्द "ऐसे मामले मे रेलवे द्वारा आंशिक दोनों ओर के प्रथम 400 कि० मी० (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए 160 कि० मी० को किराया का रियायती किराया के आधार पर अनुपातिक रूप में गणना किया जाना चाहिए और उस राशि को कलकत्ता तथा मूल निवास स्थान या भ्रमण स्थान के बीच सबसे छोटे मार्ग, जैसी स्थिति हो, के किराया के आधार पर काट लिया जायेगा तथा प्रभारित रियायती किराया के आधार पर गणना किया जायेगा और तब बची राशि कर्मचारी को प्रतिपूर्ति की जायेगी" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

"कर्मचारी की छुट्टी यात्रा रियायत को मुख्यालय तथा मूल निवास स्थान या भ्रमण का घोषित स्थान का सबसे छोटे सीधे मार्ग द्वारा वास्तविक रूप में उपयोग किए गये स्थान की श्रेणी या जिस श्रेणी का हकदार हो जो भी कम हो, द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

(ग) विनियम 10 के उप-विनियम (7) में तीसरी पंक्ति में "रेलवे स्थान" शब्दों के बाद आए शब्द "प्रथम 400 कि० मी० कि० मी० के बाद ((चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 160 कि० मी०)" को काट दिया जायेगा।

(घ) विनियम 10 के उप-विनियम (8) मे छठवी पंक्ति से प्रारम्भ निम्नलिखित शब्दों को काट दिया जायेगा:—

"जहां ऐसी यात्रा वैयक्तिक कार द्वारा की गयी हो (चाहे कार कर्मचारी की हो या नहीं), तो नोदन की लागत स्वयम् कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा, बोर्ड की सहायता की सीमा उसके समान होगी जो कर्मचारी के रेल द्वारा हकदार श्रेणी में यात्रा करने पर मिलता। ऐसे मामलों में कार द्वारा की गयी यात्रा पर हुए खर्च को जांच नहीं की जायेगी। कर्मचारी से यात्रा से संबंधित एक प्रमाण पत्र कि वह या उसके परिवार के सदस्य या दोनों ने वैयक्तिक कार द्वारा यात्रा की थी, स्वीकार जायेगी, बशर्ते कि विभागाध्यक्ष से अनुमति ले ली जाये।

(5) विनियम 11 में एक नया उप-विनियम (3) निम्नवत् जोड़ा जायेगा.—

उप-विनियम (3) पशु परिवहन, जैसे-टट्टू ऐसे स्थानों के बीच जो किसी अन्य परिवहन द्वारा जुड़ा न हो, कोई भी कर्मचारी पशु परिवहन जैसे-टट्टू, ऊंट, हाथी आदि का उपयोग कर सकता है। ऐसे मामले में ऐसी यात्रा के लिए 35 पैसा प्रति कि० मी० की दर पर मील भत्ता दिया जायेगा, यदि कर्मचारी द्वारा

पूर्ण रूप से पशु को किराए पर लिया गया हो तो । यदि पशु भाड़े पर लिया गया हो, तो शीन भत्ता आधे दर पर अर्थात् 17-1/2 पैसे प्रति कि० मी० या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, दिया जायेगा ।

(6) (क) विनियम 13 में द्वितीय पंक्ति में आया शब्द "कलकत्ता" की जगह 'मुख्यालय' लिखा जायेगा ।

(ख) विनियम 13 के अन्तर्गत दो विनियम अर्थात उप-विनियम (2) तथा उप विनियम (3) निम्नवत जोड़ा जायेगा:—

उप-विनियम (2)—जब सबसे छोटा मार्ग दुर्घटना या अन्य कारणों से भंग हो जाये तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुमति से वास्तविक मार्ग द्वारा की गयी यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

उप विनियम (3)—यदि कोई कर्मचारी रेल द्वारा वास्तव में कन्याकुमारी की यात्रा त्रिवेन्द्रम से होकर करता है, तो उस भाग के लिए की गयी छुट्टी यात्रा रियायत दी जायेगी, यद्यपि यह भाग रेल द्वारा तिरुनेलवेली से होकर कन्याकुमारी की यात्रा से लम्बी तथा अधिक कीमती हो।

(7) विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जायेगा:—

संपूर्ण छुट्टी रियायत यात्रा या उसके एक हिस्से के लिए यदि किसी कर्मचारी को गृहीत या भारित मील संख्या (उदाहरण के लिए कालका-शिमला अनुभाग में) या बढ़ाए दर (उदाहरणार्थ सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग अनुभाग पर) के आधार पर रेलवे किराया देना पड़े और यदि रेल द्वारा की गयी यात्रा की कुल दूरी के लिए दिए गये किराए (गृहीत या भारित मील संख्या या बढ़ाए हुए दर पर, जैसा मामला हो) यदि सामान्य दरों के किराए से अधिक हो, तो संबंधित कर्मचारी अपने मुख्यालय तथा भ्रमण किए गए स्थान के बीच या अपने मूल स्थान के बीच की वास्तविक दूरी हो, जो भी स्थिति हो, का लिहाज किए बिना यात्रा रियायत पाने का हकदार होगा। ऐसे मामले में बोर्ड द्वारा कर्मचारी को प्रतियात्रा से संबंधित देय राशि कर्मचारी के मुख्यालय से उस स्थान तक जहां की सैर की गया हो, या उसका मूल निवास स्थान, जैसा बात हो के वास्तविक रेलवे किराये का लागत देय होगी।

(8) विनियम 16 के अन्तर्गत एक नया उप विनियम (3) निम्नवत जोड़ा जायेगा:—

उप-विनियम (3) छुट्टी यात्रा रियायत के अन्तर्गत पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के लिए पोतारोहण पत्तन तक का यात्रा भत्ता का भांति नियन्त्रित की जायेगी। पोतारोहण पत्तन से पोर्ट ब्लेयर तक कर्मचारी हकदार श्रेणी द्वारा जैसा कि नीचे दिया गया है, समुद्र किराया पाने का हकदार होगा:—

(क) प्रथम श्रेणी के कर्मचारी जो प्रतिमास 3475/- रु या उससे अधिक वेतन पाते हैं, डीलक्स केबिन।

(ख) अन्य प्रथम श्रेणी कर्मचारीवृन्द—प्रथम श्रेणी केबिन

(ग) द्वितीय श्रेणी कर्मचारी —द्वितीय श्रेणी (ए) केबिन

(घ) तृतीय श्रेणी कर्मचारी—द्वितीय श्रेणी (बी) केबिन

(ङ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—बैंक

(9) (क) विनियम 17 के उप-विनियम (1) में द्वितीय पंक्ति में आये शब्द "नियमित छुट्टी" के बाद "चिकित्सा छुट्टी औसत वेतन छुट्टी, अर्जित छुट्टी, अर्ध औसत वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी या विशेष आकस्मिक छुट्टी सहित" शब्दों को जोड़ दिये जायेंगे तथा चतुर्थ पंक्ति में आए शब्द "नियमित छुट्टी" के बाद "चिकित्सा छुट्टी", औसत वेतन छुट्टी, अर्जित छुट्टी या असाधारण छुट्टी या विशेष आकस्मिक छुट्टी सहित" को जोड़ दिया जायेगा।

(ख) विनियम 17 के उप-विनियम (") को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान किसी कर्मचारी या उसके परिवार को दोनों मार्गों के लिए रियायत स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि वापसी यात्रा सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी से पहले पूरी कर ली जाए। अस्वीकृत छुट्टी तथा टर्मिनल छुट्टी के दौरान स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ग) विनियम 17 में दो विनियमो अर्थात् उप विनियम (4) और उप-विनियम (5) निम्नवत जोड़ा जायेगा:—

उप-विनियम (4),—यदि कर्मचारी द्वारा आवेदित छुट्टी उसे मंजूर करने वाले सम्पर्क अधिकारी द्वारा काम के हित में लिखित रूप में अस्वीकृत कर दिया जाये और यदि उक्त अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाये कि कैलेंडर उस वर्ष के दौरान उसे किसी भी समय छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती, तब उस वर्ष कर्मचारी के परिवार के लिए रियायत स्वीकार की जा सकती है। उस मामले में जहां तक कर्मचारी का प्रश्न संबंध है, यह मान लिया जायेगा कि उस अवसर के लिए कर्मचारी का रियायत समाप्त हो गयी।

उप-विनियम (5) यदि कोई कर्मचारी निलम्बित है तब छुट्टी यात्रा रियायत केवल उसके परिवार के लिए स्वीकार की जायेगी।

(10) विनियम 20में प्रथम वाक्य "हर कर्मचारी और उसके परिवार वालों को प्रथम 400 कि. मी. या 160 कि. मी. जैसी स्थिति हो, का किराये की लागत देना पड़ेगा" का काट दिया जायेगा और चौथी पंक्ति में आये शब्द "की सीमा तक" के बाद "शेष" शब्द के स्थान पर "पूर्ण" शब्द लिखा जायेगा।

(11) (क) विनियम 24 के खंड (क) में "तक सीमित" शब्द के बाद "चौथा-पांचवां" शब्द के स्थान पर "90 प्रतिशत" शब्द रखा जायेगा।

(ख) विनियम 24 के उप खण्ड (ङ) में द्वितीय पंक्ति में आये शब्द "तीस दिनों" के स्थान पर "साठ दिनों" रखा जायेगा।

(ग) एक नया विनियम अर्थात् विनियम 4 (8) नियमानुसार जोड़ा जायेगा:—

विनियम 24क. जहां कर्मचारी द्वारा अग्रिम न लिया गया हो वहां एल. टी. सी. दावा को प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारी का अधिकार खत्म हो गया या उसने छोड़ दिया मान लिया जायेगा। यदि वापसी यात्रा की पूर्ति के तीन महीने के भीतर दावा पेश नहीं किया गया, तो ऐसे मामले जिसमें एल. टी. सी. के लिए अग्रिम लिए गए हैं—उस वापसी यात्रा की पूर्ति के एक महीने के भीतर अन्तिम बिल पेश करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो संपूर्ण अग्रिम एक मुश्त में वसूल किए जायेंगे जिसके बाद यह मान लिया जायेगा कि मानो कोई अग्रिम नहीं दिया गया है, तथा वापसी यात्रा की समाप्ति के तीन महीने के भीतर दावा, पेश करने की अनुमति दी जायेगी और ऐसा न करने पर इसे जब्त समझा जायेगा।

टिप्पणी: कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत), विनियम 1976 केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो चुके है देखिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1972 दिनांक 3 सितम्बर, 1977 और कलकत्ता गजट में दिनांक 17 नवम्बर, 1977 को प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 1989

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Leave Travel Concession) First Amendment, Regulations, 1989 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016|15|86-PE.I]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees' (Leave Travel Concession) First Amendment Regulations, 1989

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and with the sanction of the Central Government under Sub-Section (i) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby make the followig Regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Leave Travel Concession) Regulations, 1976.

1. Short Title

These regulations may be called the "Calcutta Port Trust Employees' (Leave Travel Concession) First Amendment Regulations, 1989".

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Leave Travel Concession) Regulations, 1976 :

(1) (a) Sub-regulation (1) of Regulation 5 shall be substituted by the following :—

> Every employee shall be entitled to the concession for visiting home town once in a block of two years. In every case, the journey should be home town and back and the claim should be for both inward and outward journeys. The journey to home town need not necessarily commence from or end at the headquarters of the employee either in his own case or in the case of his family. But the assistance admissible shall be the amount admissible for the actual distance travelled, limited to the amount that would have been admissible had the journey been performed between the head quarters and the home town of the employee.

(b) Sub-regulation (2) of Regulation 5 shall be substituted by the following :—

> Employees of all grades shall be entitled to the concession for journeys to any place in India once in a block of four years. In every case the journey should be the place visited and back and the claim should be both for outward and inward journey. The journey to any place in India need not necessarily commence from, or end at, the headquarters of the employee either in his own case or in the case of his family. But the assistance admissible shall be the amount admissible for the actual distance travelled, limited to the amount that would have been admissible had the journey been performed between the headquarters and the place visited by the employee.

(c) Add the following sentence in Sub-regulation (3) of Regulation 5 at the end above "Explanation :—

> If the leave travel concession to visit any place in India in a block of four years is utilised by an employee for visiting home town, full re-imbursement may be allowed in respect of such visit to home town, as if it were a visit to any place in India.

(d) Sub-regulation (4) of Regulation 5 shall be substituted by the following :—

> For the purpose of sub-regulation (1) and (2) there shall be no objection to an employee travelling in a lower or higher class, but the Board's assistance shall be limited to the fares of the accommodation by the entitled class or the lower class, as the case may be, to the extent actually used.

(2) The following sentence shall be added as the last sentence of Regulation 6 :—

> Provided, however, that the family shall include spouse and dependent children of an emp-

loyee even through the spouse and dependent children may have been left by the employee at a place other than his or her place of residence.

(3) (a) In Regulation 7, the words "If the outward journey of the last of such group commenced before the expiry of six months from the date of commencement of the outward journey by the first group" appearing after the words, "each such group" in the 10th line shall be replaced by the words, "Provided the return journey is performed during the currency of the block in respect of which the first group performed its journey".

(b) Insert a new Sub-regulation, viz. Sub-regulation (2) under Regulation 7 as follows :—

Carry forward of leave travel concession would be permitted even if the one group had availed of it during the block period itself, by other groups who have not availed of the concession, while availing of the concession to visit "any place in India" the employee and/or member(s) of his family, may visit the same place or different places of their choice.

(4) (a) In Sub-regulation (2) of Regulation 10, the words, "in excess of 400 kilometers (160 Kilometers in the case of employees of the fourth grade)" after the word, "distance" appearing in the 7th line shall be deleted.

(b) In Sub-regulation (3) of Regulation 10, the words, "in such a case the fares for the first 400 kilometers (160 Kilometers in the case of employees of the fourth grade) at either end should be calculated proportionately on the basis of the concessional fare charged by the Railways and the same amount shall be deducted from the fare for the shortest route between Calcutta and the home town or the place visited, as the case may be, calculated on the basis of the concessional fare charged. The amount reimbursible to the employee will then be the balance", appearing after the words "entitled class" in the 6th and 7th line shall be substituted by the following:—

"The leave travel concession of the employee shall be regulated between the headquarters and the home town/the declared place of visit by the shortest direct route by the class of accommodation actually used or entitled class, whichever is less".

(c) In Sub-regulation (7) of Regulation 10, the words, "beyond the first 400 kilometers (160 kilometers in case of employees of the fourth grade)" appearing the word, "railway accommodation" in the 3rd line shall be deleted.

(d) In Sub-regulation (8) of Regulation 10, the following words starting from the 6th line shall be deleted :—

"Where such journey is performed by private car (whether the car belongs to the employee or not) the cost of propulsion being borne by the employee himself, the extent the Board's assistance admissible shall be equivalent to what would have been admissible had the journey been performed by rail by the entitled class. In such cases, no scrutiny of actual expenses incurred for the journeys by car shall be made. A certificate by the employee to the effect that he or the members of his family or both travelled by private car may be accepted subject to the approval of the Head of his Department".

(5) A new Sub-regulation (3) under Regulation 11 shall be inserted as follows :—

Sub-regulation (3)—Animal transport like, Pony etc.—Between places not connected by any other means of transport, an employee can avail animal transport like, pony, camel, elephant etc. In such case mileage allowance may be allowed in respect of such journey @ 35 paise per kilyometre if the animal was hired by him in full. If the animal was shared, the mileage allowance would be admissible at half of the rate i.e. 17½ paise per kilimetre or the actual expenditure, whichever is less.

(6) (a) In Regulation 13, the word "Calcutta" appearing in the 2nd line shall be substituted by the word "headquarters".

(b) Two-regulation viz. Sub-regulation (2) and Sub-regulation (3) under Regulation 13 shall be inserted as follows :—

Sub-regulation (2).—Where the shortest route is disrupted due to accidents or other causes, reimbursement of expenditure by the actual route travelled may be made with the approval of the Chairman or the Dy. Chairman.

Sub-regulation (3).—In case an employee actually performs journey by railway to

Kanyakumari via Trivandram, leave travel concession claim by that route may be admitted although this route is longer and more costly than the journey by rail to Kanyakumari via Tirunelveli.

(7) Regulation 14 shall be substituted by the following :—

Journeys of weighted mileage for visiting home town :

If for the entire leave travel journey or a part thereof an employee has to pay railway fare on the basis of an assumed or weighted mileage (as for example, on the Kalka-Simla Section) or at inflated rates (as for example, on the Siliguri—Darjeeling Section) and if the fare for the total distance travelled by rail (including the fare on the basis of assumed or weighted mileage or at the inflated rate, as the case may be), be more than the fare at ordinary rates, the employee concerned shall be entitled to the travel concession irrespective of the actual distance between his headquarters and the place visited by the employee or his home town, as the case may be. In such a case the amount reimbursable by the Board to the employee in respect of each journey shall be the cost of actual railway fare (inclusive of the passenger tax) from his headquarters to the place visited by the employee or his home town, as the case may be.

(8) A new sub-regulation (3) under Regulation 16 shall be inserted as follows :—

Sub-regulation (3)—For journey to Port Blair under Leave Travel Concession, the journey upto the port of embarkation will be regulated as usual. From the port of embarkation to Port Blair, the employee will be entitled to the cost of sea passage by the entitled class as follows :—

(a) First grade employee drawing pay of Rs. 3475 or more per month—De-luxe Cabin.

(b) Other first grade employees—1st Class Cabin.

(c) Second Grade employees—2nd Class (A) Cabin.

(d) Third Grade employees—2nd Class (B) Cabin.

(e) Fourth Grade employees—Bunk.

(9) (a) In Sub-regulation (1) of Regulation 17, the words, "including medical leave, leave on average pay, earned leave, leave on half average pay, or extraordinary leave or special casual leave" shall be inserted after the words, "regular leave" appearing in the second line and the words, "including medical leave, leave on average pay, earned leave, leave on half average pay, or extraordinary leave or special casual leave" shall be inserted after the words "regular leave" appearing in the 4th line.

(b) Sub-regulation (2) of Regulation 17 shall be substituted by the following : —

The concession shall be admissible to an employee and his family both ways during leave preparatory to retirement; provided the return journey is completed before the expiry of the leave preparatory to retirement. No concession shall be admissible to an employee and his family during refused leave and terminal leave.

(c) There shall be added two sub-regulations, viz. sub-regulation (4) and sub-regulation (5) in Regulation 17 as under :—

Sub-regulation (4).—If the leave applied for by an employee is refused in writing by the authority competent to sanction the same in the interest of work and if it is also certified by that authority that leave cannot be granted at any time during the calendar year, the concession may be granted in respect of the family of the employee during that year. In that case the concession will be deemed to have lapsed for that occasion so far as the employee himself is concerned.

Sub-regulation (5)—If an employee in under suspension, the leave travel concession shall be admissible only to the family of the employee.

(10) In Regulation 20, the first sentence "every employee and his family shall have to meet the cost of the fare for the first 400 kilometres or 160 kilometres as the case may be" shall be deleted and the word "remaining" after the words "to the extent of the" appearing in the 3rd line shall be substituted by the word "full".

(11) (a) In clause (a) Regulation 24, the word "four-fifths" after the word "limited to"

shall be replaced by the word, "90 per cent".

(b) In Sub-clause (e) of Regulation 24, the words, "Thirty days" appearing in the 3rd line shall be replaced by the words "Sixty days".

(c) A new regulation viz. Regulation 24A shall be inserted as follows :—

Regulation 24A.—The right of an employee for reimbursement of L.T.C. Claim where no advance was drawn by him, shall stand forfeited or be deemed to have been relinquished, if the claim is not preferred within 3 months of the date of completion of the return journey. In cases where advance has been drawn towards L.T.C., the final bill will have to be preferred within one month of the completion of the return journey. If that is not done, the entire advance should be recovered in lump sum after which it will be taken as if no advance had been drawn and the claim allowed to be preferred within a period of 3 months on completion of the return journey, failing which it shall stand forfeited.

Note.—The Calcutta Port Trust Employees' (Leave Travel Concession) Regulations, 1976 were approved by the Central Government vide Ministry of Shipping and Transport Notification No. G.S.R. 1272 dated the 3rd September, 1977 and published in the Calcutta Gazette dated the 17th November, 1977.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989